सं०सं०–16/टी.2–21/2014–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक
सभी आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल
उपाधीक्षक
दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना
अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयु0 एवं यूनानी अनुसंधान इकाई, पटना
प्रबंधक, रा0 आयु0 एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक :–

विषय :– **माह जून 2018 में आयुष प्रक्षेत्र के तृतीय संवर्ग के कर्मियों के जिला आवंटन/स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **निदेशालीय आदेश ज्ञापांक 847, 848, 849, 850, 851, 852(आ0चि0) दिनांक 27.06.2018 एवं 867(आ0चि0) दिनांक 30.06.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक निदेशालीय आदेश द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के तृतीय संवर्ग के कर्मियों का जिला आवंटन/स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन हेतु संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी एवं कर्मियों को निदेशित किया गया। कई कर्मियों द्वारा जिला आवंटन/स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न करते हुए पुनर्विचार हेतु आवेदन दिया जा रहा है एवं संबंधित संस्थान के कुछ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भी अनुशंसा किया जा रहा है। यह कृत्य सरकार के आदेश का अवहेलना का द्योतक है।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया जाता है कि सर्वप्रथम प्रासंगिक आदेश का अनुपालन करते हुए कर्मियों को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु एक सप्ताह के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अब तक कर्मियों को किन कारणों से विरमित नहीं किया गया यह भी स्पष्ट करें, अन्यथा आदेश के अवहेलना के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 1003 (आ.चि.) **पटना, दिनांक :–** 02.08.2018

प्रतिलिपिः– आयुष प्रक्षेत्र के तृतीय संवर्ग के सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

D:\santosh\letter.docx